तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 02/2022 अनवान राणाराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत सांजटा वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.04.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व उतरदाता संख्या 4 से 7 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं को सुना गया। उतरदाता संख्या 4 से 7 की तरफ से वकील श्री हरिराम चौधरी ने वकालतनामा पे I किया भोश रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। भोश रेस्पोडेंट के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। भोश रेस्पोडेंट आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। अपीलांट के और से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी ने उक्त राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 रास्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरणकरण संख्या 139 दिनांक 05.08.2021 जो उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत सांजटा द्वारा पारित किया गया पे I की है। अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 से 11 की संयुक्त कब्जे का त की भूमि मौजा पोलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 550/533 रकबा 35.07 बीघा की भूमि आई हुई थी। विवादित आराजी में से अपीलांट ने उतरदाता संख्या 2 से 8 से उनके 1/2 हिस्से में से 07 बीघा भूमि के प्रतिफल के रूप में 3,00,000/–रूपये अदा कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2021 के खरीद की गई थी तब उतरदाता संख्या 2 से 8 द्वारा अपीलांट के पक्ष में उक्त 07 बीघा भूमि का विक्रय पत्र निश्पादित कर उपपंजीयक बाडमेर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 651 में पृश्ठ संख्या 122 क्रम संख्या 2021103078102599 पर पंजीबद्ध करवाया गया है तथा बेचान विक्रेता उतरदाता संख्या 2 से 8 द्वारा मौके पर अपीलांट को बेचानसुदा 07 बीघा भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया, जिस पर अपीलांट मौके पर काबिज होकर का त करता आ रहा है। अपीलांट द्वारा उतरदाता संख्या 2 से 8 द्वारा मौके पर अपीलांट को बेचानसुदा 07 बीघा भूमि खरीद कर उक्त बेचाननामा की फोटो प्रति हलका पटवारी को बेचाननामा के अनुसार नामान्तरकरण पारित करने हेतु दी गई जिस पर हलका पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 139 की कार्यवाही दिनांक 18.07.2021 को प्रारंभ की गई तथा 02.08.2021 को हलका भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाने के बाद उक्त नामान्तरणकरण पारित करने हेतू ग्राम पंचायत सांजटा के समक्ष पे I किया गया, जिस पर पंचायत ने बेचान दस्तावेज व भौतिक के विरूद्व जाकर नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 05.08.2021 को अस्वीकृत कर दिया है। अपीलांट द्वारा बेचान पत्र की प्रति हलका पटवारी को देने पर हलका पटवारी ने नामान्तरकरण पारित कर अपीलांट का नाम दर्ज करने का आ वासन दिया था परन्तु ग्राम पंचायत ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर ही उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया जिस कारण अपीलांट को अस्वीकृत आदे I की जानकारी नहीं हो सकी तथा वर्तमान में जब अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर के.सी.सी. लेने हेतु हलका पटवारी से वर्तमान जमाबंदी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उतरदाता संख्या 1 ने नामान्तरणकरण संख्या 139 को अस्वीकृत करने से बेचान दस्तावेजों का सही तरीके से अवलोकन नहीं कर आनन फानन में नामान्तरकरण अस्वीकृत कर खारिज करने में कानूनी रूप से भूल की है। अपीलांट द्वारा उतरदाता संख्या 2 से 8 द्वारा भूमि नकद प्रतिफल अदा कर खरीद की गई है जिस पर उतरदाता संख्या 2 से 8 पूर्ण रूप से सहमत है तथा उक्त बेचान से बेचनाकर्ताओ को कोई उजर एतराज नहीं है तथा न	
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर		

ही मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा न हीं किसी के द्वारा लिखित में विवाद होने बाबत् कोई एतराज उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पे I नहीं किया, फिर भी उतरदाता संख्या 1 ने मनगढ़त व बेबुनियाद आक्षेप लगाते हुये आलोच्य आदे I पारित किया गया है, जो आदे I दिनांक 05.08.2021 अपास्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उतरदाता संख्या 1 ने आलोच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौके की स्थिति का अवलोंकन नहीं किया गया है, और न ही अपीलांट को उक्त म्यूटे I न अस्वीकृत करने से पूर्व कोई नोटिस जारी किया गया तथा आलोच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उतरदाता संख्या 1 ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व विधि के प्रावधानों के तहत किसी भी नामान्तरकरण कार्रवाहीं में प्रत्येक हितग्राही को सुनवाई का मौका देने के प चात नामान्तरणकरण कार्रवाही की जानी चाहिए।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौजा पोलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 550/533 रकबा 35.07.मे भरे गये नामान्तरकरण संख्या 139 नये सिरे से खोला जाकर बेचान पत्र दिनांक 15.07.2021 के अनुसार अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण पारित करने की कार्रवाही सम्पन्न करावे, इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजला I में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर